सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष न. 0141–2227884, ई–मेल rajpr.sep@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ.4(797) परावि / पीसी / वि.मा.प्लान / 2019 / 2939 जयपुर, दिनांक 03/12/2019

संभागीय आयुक्त समस्त ।
जिला कलक्टर, समस्त ।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद - समस्त

विषय :– विलेज मास्टर प्लान की कार्यवाही ई पंचायत सॉफ्टवेयर में की जाने बाबत ।

संदर्भ:- विभागीय पत्रांक 2895 दिनांक 27.11.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में विलेज मास्टर प्लान बनाने हेतु भूमि का चिन्हीकरण की कार्यवाही की प्रगति ई-पंचायत सॉफ्टवेयर से करने हेतु उपलब्ध module के बारे में बताया है । इस क्रम में ई पंचायत सॉफ्टवेयर में विलेज मास्टर प्लान हेतु विस्तृत कार्यवाही विवरण निम्न है-

- **पंचायत समिति स्तर -** प्लान के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुचना का इन्द्राज करना जिसकी विस्तृत प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट-1 की बिंदु संख्या 1 में है ।
- **ग्राम पंचायत स्तर** - इसमें प्लान दर्ज करने की सम्पूर्ण कार्यवाही एवं ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की पाक्षिक बैठक से अनुमोदित प्लान का इन्द्राज करने की प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट-1 की बिंदु संख्या 2 में है ।

संलग्नः- परिशिष्ट -1

भवदीय

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता

C:\Users\user\Google Drive\Akshay\Letter

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि. ।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि. ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
4. निजी सचिव , विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक , पंचायती राज ।
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त ।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर प्रोजेक्ट के अंतर्गत "विलेज मास्टर प्लान" शीर्षक में अपलोड करने हेतु ।
8. डीपीएमयू टीम जिला परिषद, समस्त को प्रेषित कर आदेश है कि उक्त कार्यवाही करवाने हेतु module के बारे में संबंधित को अवगत करावे ।

अधीक्षण अभियन्ता

Scanned by CamScanner

परि० 1

ई पंचायत सॉफ्टवेयर द्वारा विलेज मास्टर प्लान की कार्यवाही विवरण

1. पंचायत समिति स्तर से की जाने वाली कार्यवाही-

विलेज मास्टर प्लान के अंतर्गत आयोजित एक या एक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना का इन्द्राज करने के लिए ई पंचायत सॉफ्टवेयर में दिये गए मेनू **विलेज मास्टर प्लान > प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना** को सेलेक्ट करे | यदि पंचायत समिति द्वारा एक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये है तो **प्रशिक्षण** के ड्राप डाउन लिस्ट में से प्रशिक्षण 1, प्रशिक्षण 2, प्रशिक्षण 3 सेलेक्ट करे |

2. ग्राम पंचायत स्तर से की जाने वाली कार्यवाही-

(A) **प्लान दर्ज करना-**

- ग्राम पंचायत यूज़र को ई पंचायत के लिए sso पर पर लॉग इन करे |
- कई अन्य आप्शन के साथ- साथ विलेज मास्टर प्लान का आप्शन भी नजर में आयेगा | इसका चयन करे |
- विभागीय पत्र दिनांक 14.10.2019 के साथ प्रेक्षित परि. 1 के अनुसार module में क्रमशः I से VIII तक के सभी बिन्दुओ में सूचनाओ का इन्द्राज करे | प्रपत्र के बिन्दुवार सूचनाये दर्ज करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

  बिंदु संख्या – I व II. ग्राम पंचायत द्वारा इन्द्राज करने पर केवल राजस्व ग्राम का नाम ही चयन करना है | 2011 की जनसँख्या एवं 2012 की पशुधन संख्या का इन्द्राज करने पर दोनों की 2050 की संभावित संख्या अपने आप ही प्रदर्शित हो जाएगी |

  बिंदु संख्या – III. सभी फॉर्मेट का इन्द्राज एक साथ ही सेव किया जाना है एवं दुरी को किलोमीटर में दर्ज करे |

  बिंदु संख्या – IV,V,VI,VIII. दर्ज किया जाने वाली सूचना अंको में एवं क्षेत्रफल हेक्टेयर में ही दर्ज करे |

  बिंदु संख्या – VII. इस फॉर्मेट की सूचना स्वत ही प्रदर्शित होगी |

(B) **ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा की पाक्षिक बैठक से अनुमोदित प्लान का इन्द्राज-**

- **बिंदु संख्या -IX.** इस फॉर्मेट में ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में अनुमोदित प्लान की सूचना का इन्द्राज होगा जिसकी प्रगति रिपोर्ट के कॉलम नंबर 8 में प्रदर्शित होगी|
- **बिंदु संख्या -X.** इस फॉर्मेट में ग्राम सभा की पाक्षिक बैठक में अनुमोदित प्लान की सूचना का इन्द्राज होगा जिसकी प्रगति रिपोर्ट के कॉलम नंबर 8 में प्रदर्शित होगी |

Scanned by CamScanner